न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलियॉ, जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या :– तारीख दायर 31/5/18

मांगीलाल पिता छगन जी जाति दरोगा, उम्र–वयस्क, निवासी भोपतपुरा तहसील बिजौलियॉ, जिला भीलवाड़ा (राज0) .....प्रार्थी

बनाम्

1 जगदीश पिता नन्दा जी शर्मा, जाति ब्राह्मण, उम्र वयस्क, निवासी भोपतपुरा, तहसील बिजौलियॉ, जिला भीलवाड़ा (राज0)

2 लक्ष्मीनारायण पिता नन्दा जी शर्मा, जाति ब्राह्मण, उम्र वयस्क, निवासी भोपतपुरा, तहसील बिजौलियॉ, जिला भीलवाड़ा (राज0)

3 देबीलाल पिता रामबक्स जी जाति मेवाड़ा, उम्र वयस्क, निवासी भोपतपुरा, तहसील बिजौलियॉ, जिला भीलवाड़ा (राज0)

4 पन्नालाल पिता नाराण जाति धाकड़, उम्र वयस्क, निवासी उत्तमनगर, तहसील बिजौलियॉ, जिला भीलवाड़ा (राज0) ......विपक्षीगण

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 11–128 रा0ले0रे0 एक्ट

:–आदेश:– दिनांक 2-7-18

प्रार्थनापत्र **प्रार्थी श्री मांगीलाल** ने जरिये अभिभाषक **श्री जसवन्त सिंह सौलंकी** प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि मेरे एकल/संयुक्त खाते कि भुमि **मौजा ग्राम भोपतपुरा, पटवार हल्का भोपतपुरा, भु–अभिलेख निरिक्षक क्षैत्र बिजौलियॉकलां, तहसील बिजौलियॉ जिला भीलवाड़ा (राज0) मे खाता संख्या 162 आराजी संख्या 138 रकबा 1 बीघा एवं खाता संख्या 142 आराजी संख्या 139 रकबा 6 बीघा 02 बिस्वा भुमि** स्थित हैं। विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगड़ा फसाद करते हैं। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावें साथ में प्रार्थनापत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न हैं।

प्रार्थना पत्र रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी और पत्रावली का अवलोकर किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के अवलोकर से प्रार्थी वादग्रस्त आराजियात का खातेदार/गेर खातेदार काश्तकार हैं। पडोसियान के विवाद करने बाबत शपथपत्र संलग्न हैं। पत्थरगढी से किसी के स्वात्व पर कोई विपरीत प्रभाव नही पडता हैं।

अतः प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड़ रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया **मौजा ग्राम भोपतपुरा, पटवार हल्का भोपतपुरा, भु–अभिलेख निरिक्षक क्षैत्र बिजौलियॉकलां, तहसील बिजौलियॉ जिला भीलवाड़ा (राज0) मे खाता संख्या 162 आराजी संख्या 138 रकबा 1 बीघा एवं खाता संख्या 142 आराजी संख्या 139 रकबा 6 बीघा 02 बिस्वा भुमि** की बाशामालात पड़ोसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता हैं एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100/– रूपये राजकोष में जमा होने पर पलनार्थ तहसीलदार बिजौलियॉ को लिखा जावे। भू. नि. नि. बिजौ. निरी. को कार्यवाही हेतु निर्देशित किया जाता व अतिरिक्त फीस 500/- रु. जमा किये जाते हैं जो बाद पत्थरगढी प्राप्त किया जावेगा।

प्रार्थनापत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हों।

आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियॉ